[ 17/12/2019]

प्रश्न सं. [ क्र. 813 ]

# मध्यप्रदेश शासन
## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
## मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/22/पं-1/2019/37 भोपाल, दिनांक 01/03/2019

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत – समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग मद से दी जाने वाली राशि का पुर्ननिर्धारण किये जाने बाबत।

संदर्भ :- विभाग व्दारा जारी पत्र क्रमांक 61/अमुस/ पंग्राविवि/2017 दिनांक 11.09.2017 एवं पत्र क्रमांक/73/2018/22/पं-1 दिनांक 19.02.2018।

उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य वित्त आयोग मद से जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर दी जाने वाली राशि का निर्धारण किया गया था। इस अनुक्रम में वर्ष 2019-20 से विकल्प पर दी जाने वाली राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैं :-

जिला पंचायत के लिए राशि का निर्धारण –

1. जिला पंचायत अध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रू. 50 लाख।
2. जिला पंचायत उपाध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रू. 20 लाख।
3. जिला पंचायत सदस्य के विकल्प पर - राशि रू. 15 लाख

जनपद पंचायत के लिए राशि का निर्धारण –

1. जनपद पंचायत अध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रू. 20 लाख।
2. जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विकल्प पर - राशि रू. 10 लाख।
3. जनपद पंचायत सदस्य के विकल्प पर - राशि रू. 5 लाख।

शेष शर्तें-विभागीय परिपत्र क्रमांक/73/2018/22/पं-1 दिनांक 19.02.2018 अनुसार ही होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(उर्मिला शुक्ला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/22/पं-1/2019/38 भोपाल, दिनांक 01/03/2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. संचालक, पंचायतराज संचालनालय।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग